संख्या-172/2016/1753/नौ-5-16-327बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2016

विषय:-नगर निगम, लखनऊ में जल निकासी के कार्यो हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एनए(एस)/4/30/एफ/एनओ, दिनांक 17.05.2016 तथा शासनादेश संख्या-183/2015/3239(4)/नौ-5-15-327बजट/2014, दिनांक 08.06.2015 व शासनादेश संख्या-184/2015/3239(6)/नौ-5-15-327बजट/2014, दिनांक 08.06.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, लखनऊ में जल निकासी हेतु नालों के निर्माण से संबंधित कार्यो के लिए निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमशः ₹ 33.85 लाख तथा ₹ 34.88 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय किश्त के रूप में क्रमशः ₹ 16.93 लाख तथा ₹ 17.44 लाख अर्थात् कुल रू0 34.37 लाख (रू0 चौतीस लाख सैतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त/ आगामी किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	183/2015/3239(4)/नौ-5-15-327बजट/2014, दिनांक 08.06.2015	33.85	16.92	16.93
2	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	184/2015/3239(6)/नौ-5-15-327बजट/2014, दिनांक 08.06.2015	34.88	17.44	17.44
			योग			34.37

(₹ चौतीस लाख सैतीस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यथाप्रक्रिया प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2017 तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित

शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा। उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को जायेगी।

(5) शासनादेश संख्या-183/2015/3239(4)/नौ-5-15-327बजट/2014, दिनांक 08.06.2015 व शासनादेश संख्या-184/2015/3239(6)/नौ-5-15-327बजट/2014, दिनांक 08.06.2015, जिनके द्वारा सन्दर्भित कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक *"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-172/2016/1753 (1)/नौ-5-16-327बजट/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मा0 महापौर, नगर निगम, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-20/06/2016

प्रेषण संख्या:- 172

आवंटन आदेश संख्या:- 001-172-2016-1753-9-5-16-327B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3437000 3437000	3437000 3437000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3437000 3437000	3437000 3437000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौंतीस लाख सैंतीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौंतीस लाख सैंतीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी